राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़
Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक: आर०एम०पी०यू०/1327/2026 **दिनांक: 14 अगस्त, 2026**

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित **महिला एवं पुरुष छात्रावासों** में प्रवेश/आवंटन हेतु ऐसे इच्छुक विद्यार्थी, जो पूर्व में छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन नहीं कर पाए हैं, अब **समर्थ पोर्टल** के माध्यम से छात्रावास हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रावास हेतु आवेदन करने के उपरान्त संबंधित **छात्रावास वार्डन/प्रभारी** से संपर्क कर छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। छात्रावास आवंटन विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा छात्रावास नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

छात्रावास वार्डन/प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी को कमरा आवंटित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित विद्यार्थी विश्वविद्यालय की प्रचलित छात्रावास नियमावली के अनुसार छात्रावास आवंटन हेतु पात्र (Eligible) है। पात्रता की समुचित जाँच एवं आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त ही विद्यार्थी को कमरा आवंटित किया जाए।

विद्यार्थियों द्वारा छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन करते समय निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक अभिलेख, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक निर्देश:-

1. छात्रावास हेतु इच्छुक विद्यार्थी सर्वप्रथम समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन करें।
2. आवेदन करने के उपरान्त संबंधित छात्रावास के वार्डन/प्रभारी से संपर्क कर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करें।
3. छात्रावास वार्डन/प्रभारी द्वारा विद्यार्थी की पात्रता का परीक्षण विश्वविद्यालय की छात्रावास नियमावली के अनुसार किया जाएगा।
4. पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त ही उपलब्धता के आधार पर कमरे का आवंटन किया जाएगा।
5. अपात्र विद्यार्थी अथवा छात्रावास नियमावली की निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले विद्यार्थी को छात्रावास आवंटित नहीं किया जाएगा।
6. छात्रावास आवंटन विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा छात्रावास नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगा।
7. किसी भी विद्यार्थी का केवल समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर देना छात्रावास आवंटन का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। अंतिम आवंटन संबंधित छात्रावास वार्डन/प्रभारी द्वारा पात्रता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
8. कमरा आवंटित होने के पश्चात विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मेस शुल्क एवं कक्ष/कमरा किराया समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्वतः जमा करना होगा।

(प्रबुद्ध सिंह)
कुलसचिव